UPKN040813112026

न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०), कक्ष संख्या –2, कानपुर नगर।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2038/2026

सरकार ... ... बनाम... ... ... राहिल उर्फ तसलीम

अ०सं०–44/2026

धारा–316(2), 352, 351(3)

61(2) बी०एन०एस०

थाना–बेकनगंज

जनपद– कानपुर नगर

दिनांक–10.06.2026

1. अभियुक्त राहिल उर्फ तसलीम की ओर से मु०अ०सं०–44/2026, अन्तर्गत धारा–316(2), 352, 351(3), 61(2) बी०एन०एस० ,थाना बेकनगंज, कानपुर नगर के मामले में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त को उपरोक्त मुकदमें में झूठे तथ्यों के आधार पर आरोपित किया गया है। वह पूर्णतया निर्दोष है। इन सब तर्कों के साथ जमानत प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है।

3. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्त का आपराधिक इतिहास मय प्रस्तरवार आख्या तलब करने का निवेदन किया गया है।

4. प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त पर सह अभियुक्तों के साथ मिलकर आपराधिक षडयन्त्र रचते हुये, आपराधिक न्यायभंग व वादिनी के साथ गाली–गलौज व जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध संज्ञेय, गैर जमानतीय तथा अत्यन्त गंभीर प्रकृति का है। प्रकरण में विवेचना अभी प्रचलित है तथा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित नहीं किया गया है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये जमानत का आधार अपर्याप्त है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त राहिल उर्फ तसलीम का जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 316(2), 352, 351(3), 61(2) बी०एन०एस० निरस्त किया जाता है।

(शिप्रा)

अपर सिविल जज (जू०डि०),

कक्ष संख्या–2, कानपुर नगर।

जे०ओ०कोड–यू०पी० 3615

Digitally signed by SUSHRI SHIPRA
Date: 2026.06.10 15:55:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court